

तारीख
हुकम

16-02-23

पत्रावली पेश हुई।

प्राथी के वकील उपस्थित।

पर्याप्त अवसर देने के बावजूद प्राथी वकील द्वारा विप्राथीगण के नोटिस रजिस्ट्री खर्च के साथ पेश नहीं किए हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्राथी वकील पेशी के प्रति गंभीर नहीं हैं।

अतः प्राथी का प्रार्थना पत्र अदम्य तकमिल में खारिज किया जाता है।

पत्रावली कुल शुमार होकर कुल काद के संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) सिवाना

